राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड़, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्रमांक / रा.स्वा.मि. / शहरी स्वास्थ्य / 2018 / 11195 भोपाल, दिनांक 13-11-2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी बासौसा, सिरोंज (विदिशा) गोहद (भिण्ड), डाबरा (ग्वालियर), खचरोद (उज्जैन), जावरा (रतलाम), ब्यावरा (राजगढ़), नालचा (धार), महू (इन्दौर) , सेधवा (बड़वानी), राधवगढ (गुना), घोड़ाडोगरी (बैतूल), शुजालपुर (शाजापुर), केसला (होशंगाबाद), आष्टा (सीहोर),खुरई बीना (सागर), गाडरवारा (नरसिंहपुर) एवं अब्बदुल्लागंज (रायसेन)।

विषयः— प्रदेश में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया, सागर के किराया निर्धारण / भुगतान हेतु दिशा निर्देश ।

संदर्भ :— उप संचालक, शहरी स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रांमक / एन.यू.एच.एम. / शहारी स्वास्थ्य / 2017 / 21881 भोपाल दिनांक 14 / 09 / 2017 (बिन्दु क्रमांक — 4)

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है, कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यायोजन वर्ष 2018—19 की गतिविधि क्रमांक U.5.1.4.1 एवं U.5.1.4.2 में क्रमशः शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो हेत भवन किराया स्वीकृत किया गया है। उक्त शहरी संस्थाओं के किराये के निर्धारण एवं भुगतान हेतु दिशानिर्देश निम्नानुसार है।

अ. गतिविधि क्रमांक U.5.1.4.1 – शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का किराया

(1) किराये के भवन का चयन —

किराये के भवन में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु निम्नानुसार स्पेस की उपलब्धता आवश्यक है —

a) चिकित्सक परामर्श कक्ष / परीक्षण हेतु	— 1 कमरा, 100 वर्ग फीट
b) दवाई वितरण एवं स्टोर हेतु	-- कमरा,120 वर्ग फीट
c) टीकाकरण कक्ष	— कमरा,120 वर्ग फीट
d) वेटिंग एरिया	— कमरा हाल 120 वर्ग फीट
e) शौचालय	— पुरूष एवं महिला हेतु पृथक
f) ऑफिस स्पेस एम.आई.एच.रिमार्ड संधारण हेतु	— 1 कमरा 120 वर्गफीट

(2) जिलो में किराये के भवन में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के किराये हेतु पॉच बडे शहरों इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में 15000 रूपये प्रतिमाह एवं शेष अन्य शहरों मे 10000 रूपये प्रतिमाह मान से 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(3)किराये के भवन में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन किराये का निर्धारण न्यायसंगत एवं वास्तविक अधार पर निश्चित किया जाये। जिलों में भ्रमण के दौरान पाया गया है कि कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रं एक या दो कमरो के भवन में सचालित है, एवं उनका किराया अधिकतम स्वीकृत राशि के आधार पर किया जा रहा है जो कि आपत्तिजनक है।

(3) शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन का चयन स्लम एरिया में किया जाये।

(4.) वर्तमान में जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लम एरिया में अथवा दिशा निर्देशानुसार पर्याप्त स्थान में संचलित नही है, उन संस्थाओं हेतु मापदण्ड अनुसार नवीन भवन का चयन किया जाये।

ब. गतिविधि क्रमांक U.5.1.4.2 – शहरी सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र का किराया

कार्ययोजना में नवीन गतिविधि शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकरोनिया जिला सागर हेतु 25000 रूपया प्रति माह के मान से भवन का किराया स्वीकृत है। उक्त भवन हेतु किराये का निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा करवा कर वास्तविक आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

स. उक्त दोनो गतिविधियों के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के किराये के भुगतान हेतु राशि ई–वित्त प्रवाह साफ्टवेयर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी को स्वीकृत की गई है।

निर्देशित किया जाता है कि किराये के भवन में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया के किराये का निर्धारण/भुगतान उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार सुनिश्चित करें।

(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/एन.यू.एच.एम/शहरी स्वास्थ्य/2018/ भोपाल, दिनांक.................

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक एन.एच.एम.,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एन.एच.एम., भोपाल,मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय सयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाए, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/सहायक कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश